

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं जिला जयपुर

रामचन्द्र

बनाम

सुशला

मुकदमा संख्या-

40/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

01/5/25

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

व. वाडी उपर कुवेमत रिपोर्ट प्राप्त हुई
 जे वा.मि.के वर कुवेमत सुनी गयी
 वनील-वाडी मे मुताबिक कुवेमत अलिप्त
 सिटी हेतु निवेदन किया। वर कुवेमत
 सुनी गयी। वर पर कण किया गया।
 पत्रावली के अपलोड किया गया। वाडी
 के वाड मुताबिक कुवेमत अलिप्त-सिटी
 किया जाता है विस्तर निवेदन प्रक
 के लिखवाया जाय वा.मि.के किया गया।
 पत्रावली फिलल सुकर-वेकर इति गकर
 के का है तथा डाकिल इतर है

मुताबिक कुवेमत
 रिपोर्ट के
 अनुमार
 फाइनल सिटी
 किया जाता है
 जो की आपकी
 नदी है।
 अंश

सहायक कलक्टर
 न्यायालय
 चौमूं जिला
 जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

रामस्वरुप सौंकरिया पुत्र नानगराम, उम्र वयस्क, जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. कुशला पुत्र कजोड़, उम्र वयस्क, जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :-40/2025

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रुबरु प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि वाके ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, पटवार हल्का अणतपुरा चिमनपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में हाल खाता सं0 111 गत खाता सं0 53 के खसरा नं0 2429 रकबा 0.1304 है0, खसरा नं0 2430 रकबा 0.3659 है0, खसरा नं0 2431 रकबा 0.5507 है0, खसरा नं0 2432 रकबा 0.0392 है0, खसरा नं0 2433 रकबा 0.0437 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 1.1299 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 04.04.2025 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

1. कुशला पुत्र कजोड़ हिस्सा पूर्ण जाति रैगर सा0 उदयपुरिया खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2430/2 रकबा 0.0477 है0, खसरा नम्बर 2429/2 रकबा 0.0778 है0,

Pr.
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0-40/2025
उनवान-रामस्वरूप बनाम कुशला वगै0

निर्णय दिनांक:-07.04.2025

कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1255 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

2. रामस्वरूप सौंकरिया पुत्र नानगराम हिस्सा पूर्ण जाति रैगर सा0 उदयपुरिया खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2429/1 रकबा 0.0526 है0, खसरा नम्बर 2430/1 रकबा 0.3182 है0, खसरा नम्बर 2431 रकबा 0.5507 है0, खसरा नम्बर 2432 रकबा 0.0392 है0, खसरा नम्बर 2433 रकबा 0.0437 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 1.0044 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजीमबलिक बाबत खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।
बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 07.04.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.....

ओहदा.....

सहायक कलक्टर
चौमूर (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	0
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	6	जोड़	0

सहायक कलक्टर
चौमूर (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-40/2025

उनवान

रामस्वरुप सौंकरिया पुत्र नानगराम, उम्र वयस्क, जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया,
तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. कुशला पुत्र कजोड़, उम्र वयस्क, जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं,
जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला
जयपुर।
3. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय


दिनांक :-07.04.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। वकील
वादी द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांकित
04.04.2025 पर सहमति जताते हुए वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया
गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का
गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व
मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक
04.04.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि वाके ग्राम अणतपुरा
चिमनपुरा, पटवार हल्का अणतपुरा चिमनपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं,
जिला जयपुर में हाल खाता सं0 111 गत खाता सं0 53 के खसरा नं0 2429 रकबा 0.
1304 है0, खसरा नं0 2430 रकबा 0.3659 है0, खसरा नं0 2431 रकबा 0.5507 है0,
खसरा नं0 2432 रकबा 0.0392 है0, खसरा नं0 2433 रकबा 0.0437 है0, कुल किता 5
का कुल रकबा 1.1299 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:-

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

1. कुशला पुत्र कजोड हिस्सा पूर्ण जाति रैगर सा0 उदयपुरिया खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2430/2 रकबा 0.0477 है0, खसरा नम्बर 2429/2 रकबा 0.0778 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1255 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. रामस्वरुप सौकरिया पुत्र नानगराम हिस्सा पूर्ण जाति रैगर सा0 उदयपुरिया खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2429/1 रकबा 0.0526 है0, खसरा नम्बर 2430/1 रकबा 0.3182 है0, खसरा नम्बर 2431 रकबा 0.5507 है0, खसरा नम्बर 2432 रकबा 0.0392 है0, खसरा नम्बर 2433 रकबा 0.0437 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 1.0044 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।
निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
चौमं
सहायक कलक्टर
चौमं (जयपुरी)